उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

Power distribution
To
RM

संदर्भ संख्या /एसआईडीसी/ दिनांक

कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को एतद्द्वारा अवक्रमित करते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों को सुचारू/त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभाव से अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	• 2000 वर्गमी0 तथा 5 वर्ष तक पुराने औद्योगिक एवं एकल आवासीय आवंटनों में आवंटन के पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं यथा पट्टाविलेख निष्पादन, उत्पाद/परियोजना परिवर्तन, हस्तान्तरण, समय विस्तारण, कब्जा हस्तान्तरण, पुर्नगठन, आवंटी की मृत्यु के पश्चात् वारिसानों के पक्ष में भूखण्ड का नियमितीकरण, किरायेदारी तथा क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, निरस्तीकरण/समर्पण स्वीकार करना एवं धनराशि वापसी, आरक्षण धनराशि के भुगतान की तिथि 30 दिनों का विस्तारण 60 दिनों तक करने, जमा धनराशि में रू0 100/– की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से आवंटी को हटाने सम्बन्धी कार्य। • 1000 वर्गमी0 तक के औद्योगिक एवं एकल आवासीय भूखण्डों के भवन मानचित्र की स्वीकृति।	क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी
2.	• क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रतिनिधायित अधिकार सीमा से अधिक 10000 वर्गमी तक के औद्योगिक/एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटियों को आवंटन के पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं यथा परियोजना परिवर्तन, हस्तान्तरण, पारिवारिक सदस्यों के मध्य पुर्नगठन, मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात् वारिसानों के पक्ष में भूखण्ड का नियमितीकरण, पुर्नगठन, किरायेदारी, समय विस्तारण तथा क्षेत्रफल	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति में निम्नवत् सदस्य होंगे :– 1. प्रभारी (औ0क्षे0)/प्रभारी (एटीपी) (मानचित्र स्वीकृति

Scanned with CamScanner

	में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का नियमितीकरण इत्यादि। • 5000 वर्गमी0 तक के औद्योगिक भूखण्डों के भवन मानचित्र की स्वीकृति।	हेतु। 2. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/परि0अधि0 सदस्य सचिव 3. क्षेत्रीय कार्यालय/परि0का0 के सम्बन्धित लेखाधिकारी।
3.	• मुख्यालय सन्दर्भित 2000 वर्गमी0 तक के सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटियों को आवंटन के पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं यथा, पट्टाविलेख को आवंटी की अभिरक्षा/वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन, आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि की स्वीकृति तथा भूखण्ड परिवर्तन, कब्जा हस्तान्तरण, भवन मानचित्र स्वीकृति, परियोजना/ उत्पाद परिवर्तन/ अतिरिक्त उत्पाद, एक भूखण्ड पर आवंटी द्वारा दूसरी इकाई की स्थापना, देयों का रिशिड्यूलमेन्ट, समय विस्तारण, किरायेदारी, हस्तान्तरण, पुनगर्ठन, निरस्तीकरण/ समर्पण स्वीकार करना एवं धनराशि वापसी एवं पुर्नजीवीकरण।	प्रभारी (औ0क्षे0)
4.	• 10000 वर्गमी0 तक के सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटियों को आवंटन के पश्चात् दी जाने वाली सुविधाओं यथा, पट्टाविलेख को आवंटी की अभिरक्षा/वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन, आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि की स्वीकृति तथा भूखण्ड परिवर्तन, कब्जा हस्तान्तरण, भवन मानचित्र स्वीकृति, परियोजना/ उत्पाद परिवर्तन/ अतिरिक्त उत्पाद, एक भूखण्ड पर आवंटी द्वारा दूसरी इकाई की स्थापना, देयों का रिशिड्यूलमेन्ट, समय विस्तारण, किरायेदारी, उपविभाजन/ संविलियनीकरण, हस्तान्तरण, पुनगर्ठन, निरस्तीकरण/ समर्पण स्वीकार करना एवं धनराशि वापसी एवं पुर्नजीवीकरण। • धीमी गति के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के आवंटन का पूर्ण अधिकार। • 4000 वर्गमी0 तक तीव्र/अति तीव्र गति के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के आवंटन का पूर्ण अधिकार। • धीमी गति/तीव्र गति के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एकल आवासीय भूखण्ड आवंटन के पूर्ण अधिकार। • धीमी गति एवं तीव्र गति के औद्योगिक/आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के अनुमोदन का अधिकार (आवंटन के प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार) • व्यवसायिक (फाईनेंशियल बिड द्वारा) एनसीआर छोड़कर अन्य	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

	समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में 2000 वर्गमी0 तक के भूखण्ड के आवंटन के पूर्ण अधिकार। • संस्थागत/शैक्षणिक हेतु समस्त क्षेत्रों में 2 एकड़ तक के भूखण्ड आवंटन का पूर्ण अधिकार। • 02 एकड़ तक औद्योगिक भूखण्डों के उपविभाजन/सम्मिलीकरण के पूर्ण अधिकार। • संयुक्त मार्टगेज/भूखण्ड परिवर्तन (एक ही औ0क्षे0 में) तथा देयों का रिशिड्यूलमेन्ट (क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रदत्त अधिकार से अधिक) • आरक्षण धनराशि को जमा करने के निर्धारित समय के पश्चात् समय विस्तारण की स्वीकृति (क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रदत्त अधिकार से अधिक)/हस्तान्तरण शुल्क/व्याज/अन्य शुल्क की त्रुटिपूर्ण मांग को संशोधित किये जाने के समस्त अधिकार। • 2000 से 10000 वर्गमी0 तक भवन मानचित्र स्वीकृति के पूर्ण अधिकार।	

क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के प्रकरण समिति/मुख्या
उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पूर्ण प्रपत्रों सहित मुख्यालय अग्रसारित किये जायेंगें। किसी भी कार्य में अधिका
की अस्पष्टता होने पर उसे मुख्यालय सन्दर्भित किया जायगा। समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में
स्थलों पर आयोजित की जायेगी जिसकी तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित की जाया करेगी।

ऐसे समस्त कार्य/दायित्व/प्रतिनिधायन जिनका उल्लेख उपरोक्त तालिका में नहीं है, प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगें।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

सं0सं0 1358–61 /एसआईडीसी–/11A/Direction to RM/दिनांक– 19-9-12

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, मुख्यालय, कानपुर।
2. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, कानपुर।
3. प्रभारी (औ0क्षे0), मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीसी लि0 ।
5. गार्ड फाइल।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner